

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:- दावा संख्या 05/2019

निर्णय दिनांक :- 24.1.2020

1. श्रीमती कैलाशकंवर धर्मपत्नी सौभागसिंह जाति राजपूत निवासी जेगणिया बिकान त. रतनगढ जिला चूरु
2. शोभागसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी जेगणिया बिकान त. रतनगढ जिला चूरु

... वादीगण

बनाम

1. कल्याणसिंह
 2. छतुसिंह
 3. हेमसिंह
 4. भगवानसिंह
- पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी जेगणिया बिकान तहसील रतनगढ
5. सिरिकंवर पत्नी मालसिंह जाति राजपूत निवासी जेगणिया बिकान त. रतनगढ
 6. प्रेमसिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपूत निवासी जेगणिया बिकान त. रतनगढ
 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरु

...प्रतिवादीगण


उपस्थित:-

1. श्री भोजराजसिंह अभिभाषक वादीगण
2. श्री हरिश कुमार जसैल अभिभाषक प्रतिवादीगण
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53,188 एवं 209 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खाता एवं लगान विभाजन के लिए दिनांक 22.1.2019 को प्रस्तुत किया गया। दावा प्राथमिक रूप से दिनांक 07.08.2019 को


उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरु)

डिक्री किया गया तथा मौके की कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत ख.नं. 5 तादादी 10.0918 हैक्टर, ख.नं. 209 तादादी 2.5546 हैक्टर, ख.नं. 224 तादादी 3.4904 हैक्टर कुल तादादी 16. 1368 हैक्टर रोही ग्राम जेगणिया बिकान तहसील रतनगढ़ का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार रतनगढ़ की ओर से दिनांक 24.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा प्रस्तुत किया गया।

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभार्ती अवलोकन किया गया। पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नहीं की है। भूमि का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षेत्रफल है. में	किस्म
1.	कैलाशकंवर पत्नी सौभागसिंह 91/171 शोभागसिंह पुत्र प्रेमसिंह 80/171 राजपूत नि. जेगणिया बिकान खातेदार रहन बी.आर.के.जी. बी.शाखा राजलदेसर	5मिन	4.3250	बा.दो.
2.	कल्याणसिंह, छतुसिंह, भगवानसिंह पि. मालसिंह, सिरिकंवर पत्नी मालसिंह 3548/4543, प्रेमसिंह पुत्र	5मिन 5मिन 5मिन	0.8230 2.3490 2.5948	बा.दो. बा.दो. बा.दो.

[Signature]
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरु)



मालसिंह 358 / 5369 हेमसिंह पुत्र	209	2.5546	बा.च.
मालसिंह 8997 / 59059 हि. राजपूत निवासी जेगणिया बिकान खातेदार (रहन कल्याणसिंह, भगवानसिंह, सिरेकंवर हेमसिंह का हि. बीओबी शाखा राजलदेसर, छतुसिंह का चूरु जिला स.भू.वि. बैंक शाखा चूरु में रहन)	224	3.4904	बा.सो.
योग	किता 5	11.8118	

अंतिम पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी हो। तहसीलदार रतनगढ डिक्री का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 24.1.2020 को बसरे ईजलास सुनाया गया।



Saini
(डॉ. गौरव सैनी)
उप उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरु)

